

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] No. 185] नई विल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 1987/चंद्र 26, 1909 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 1987/CHAITRA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सकें

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, 16 श्रप्रैल, 1987

श्रधिसूचनाएं

का. थ्रा. 393(अ): केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) प्रधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1987 है।
- (2) वे राजपन में प्रकाशन की तारीय को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची में कम संख्यांक 7 के पप्रचाल निम्नलिखित को भन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :---

8. रंजक और रंजक

. रजक आर रजक मध्यवर्ती उन्नोग संकेन्द्रण प्रतिशिटर मिलिग्राम से प्रशिक नहीं होगा (बी एक ताप और जैव शीमापन को छोड़कर्र)

्निलम्बित पिष्ठ पी **एच** ताप

3

346

100

6 से 8.5 (प्राही काम निकाय के परिवेश ताप से 5°सें

से अधिक नहीं होगा

पारद (एच जी के रूप में) 0.01 हेक्सावेलेन्ट कोमियम सी भार

0.01

के रूप में कुल कोमिया

2.0

(सी भार के रूप में) ताम्बा (सी मू के रूप में)

3.0

110 GI|87

2

जस्ता (गैड एन के रूप में) 5.0

निकल (एन आई के रूप में) 3.0 किडमियम (सी डी के रूप में) 2.0 किलोराइड (सी एल के रूप में) 1000 सल्फेट (एस ओ के रूप में) 1000 फीमालीय मिश्र (सी एच इ ओ एच के रूप में) 1.0 तेल और जिकमाई 10

(बहिसामों के 1:8 तनकरण सहित)

भामापन परीक्षण

96 घटों के पश्चात् परीक्षण पश्कों का ! उत्तरजीवन 90%

क्लोराइड और सल्फेट के मानक, प्रन्तः स्थलीय और भूतल जल स्थितों में विसर्जन को लागू हुंते हैं कि तु जब स्वाई के किए प्रमि पर विसर्जन किया जाए तो बलोराइड के लिए परिसीमा प्रति लिटर 600 मि. ग्रा. से मधिक नहीं होगी और सोडियम का श्रमेलन प्रनुपात 26 से प्रधिक नहीं होगा।

9. विद्युत लेपन उद्योग संकेन्द्रण प्रति लिटर मिलिग्राम से प्रधिक नहीं होगा (पी एच और ताप को छोड़कर पी एच ताप 6.0 से 9.0 प्राही काम निकाय के परिवेश ताप से 5° सें. से प्रधिक नहीं होगा तेल और चिकनाई 10

निलम्बितः पिड 🕠 100 साइनाइड (सी एन के रूप में) 0.2 म्मोनियामय नाइट्रोजन (एन केरूप में) कुल अविभिष्ट क्लोराइड (सीएल के रूप में) कैडामियम (सी डी के रूप में) 2.0 निकल (एन आई के रूप में) जस्ता (जैंड एन के रूप में) 5.0 हेक्सावेलेंट कोमियम (सी भार के रूप में) कूल कोमियम (सी ग्रार के रूप में) 2.0 ताम्बा (सी यू के रूप में) 3.0 सीसा (पीबी के रूप में) 0.1 लोहा (एफ ई के रूप में) 3.0 कुल धातु 10.0 कुल धूल (सभी अनुभाग) 10. सीमेंट संयंत्र प्रति सामान्य धन-संयंत्र कामता लिटर में मिलिग्राम से श्रधिक नहीं 400 टन प्रति दिन 400 ब्ल धल 200 टन से ग्रधिक (सभी श्रनुभाग) 250

केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण नोर्ड कड़े मानक नियत कर करें के जो छोटे संयंत्रों के लिए प्रति सामान्य घन मीटर 250 मिलियान से और बड़े संयंत्रों के लिए प्रति सामान्य घन मीटर 150 मिलियान से अधिक नहीं होगा यदि उद्योग ऐसे क्षेत्र में श्रवस्थित हैं जहां उनकी राय में अधिक कड़े मानकों की अपेक्षा है।

जहां धूल उत्सर्जन मार्गी पर निरंतर मार्भीटरनी समालकों का उनक्ष किया गया है वहां अनुरुपता मारकों के लिए कण स्थामी धूल उत्सर्ज मूल्यों के बवले ऐसी अवधि जो नैर्जिय और राध्य बंडों हारा निरुल की जाएगी और जो 72 घंटे से अधिक की नहीं होगी, के लिए समाकरित औसत मूल्य पर विचार किया जाएगा।"

[सं. 1(18)/86 - पी एक]

मूल नियम का. आ. सं. 844 (अ) तारीख 19-11-86 के अधीन प्रकाशित किए गए और संशोधनकारी नियम का. आ. सं. 82 (अ), 83 और 84(अ) तारीख 16-2-87 द्वारा प्रकाशित हुए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 16th April, 1987.

NOTIFICATIONS

- S.O. No. 393(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—
- 1. (i) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 1987.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Environment (Protection) Rules, 1986, after serial number 7, the following shall be inserted namely:—

1	2	3	4
8.	Dye and Dye Intermediate Industries.		Concentration not to exceed milli- grammes per litre (except for pH, temperature and bio-assay)
		Suspended Solids	100
	, 1 ,	рН	6 to 8.5
		Temperature	Shall not exceed 5°C above the ambient temperature of the receiving body.
:		Mercury (As Hg)	0.01
		Hexavalent (As Cr) Chromium	0.1
	a . • • •	Total Chromium (as Cr)	2.0
. :		Copper (as Cu)	3:0
		Zinc (as Zn)	5.0
		Nickel (as Ni)	3.0

1 2	3	4
	Cadmium (as Cd)	2.0
	Chloride (as Cl)	1000
	Sulphate (as SO ₄)	1000
	Phenolic Compounds (as C ₆ H ₅ OH)	1.0
	Oil and Grease Bio-assay Test (with 1:8 dilution of effluents)	10 90% Survival of Test animals after 96 hours.

The standards for chlorides and sulphates are applicable ter discharge into inland and surface water courses. However, when discharged on land for irrigation, the limit for chloride shall not be more than 600 milligrammes per litre and the sodium absorption ratio shall not exceed 26.

9. Electroplating Industries		Concentration not to exceed milligram- mes per litre (except for pH and tempe- rature)
		6.0 to 9.0 Shall
	рH	not exceed 5°C
	Temperature	above the
		ambient tempera- ture of the receiving
	Oil and Grease	body. 10
		100
	Suspended Solids Cyanides (as CN)	0.2
	Ammonical	50
•	Nitrogen (as N)	
	Total Residual	1.0
•	Chloride (as Cl)	
	Cadmium (as Cd)	2.0
•	Nickel (as Ni)	3.0
	Zinc (As Zn)	5.0
	Hexavalent Chromium (as Cr)	0.1
	Total Chromium	2.0
	(As Cr)	
	Copper (As Cu)	3.0
	Lead (As Pb)	0.1
	Iron (As Fe)	3.0
•	Total Metal	10,0
10. Cement Plants 1 Plant Capacity		Not to exceed- milligrammes per normal cubic meter
200 tonnes per day	(All Sections)	400
J	Total dust	
Greater than 200 tonnes	(All Section)	250

The Central and State Pollution Control Boards may fix stringent standards, not exceeding 250 milligrammes per normal cubic meter for smaller plants and 150 milligrammes per normal cubic meter for larger plants if the industry is located in an area which, in their opinion, requires more stringent standards.

per day

Where continuous monitoring integrators are provided on dust emission lines, the integrated average values over a period, to be fixed by the Central and State Boards but not exceeding 72 hours shall be considered instead of momentary dust emission values for conformity to standards."

[No. 1(18)/86-PL]

Principal Rules published vide S.O. No. 844(E) dated 19-11-86.

Amending Rules published vide S.O. No. 82(E), 83(E) and 84(E) dated 16-2-87.

का. म्रा. 394(अ): - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधि-नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) के म्रधीन प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध भिधकारियों और निधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उस सारणी के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लिखित मिधकारिता के लिए प्राधिकृत करती है:

सारणी

कम सं.	ग्रधिकारी	ग्रधिकारिता
(1)	(2)	(3)

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव संपूर्ण भारत विभाग में कोई निदेशक, संयुक्त सचिव, सलाह-कार या अपर सचिव
- 2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) ग्रिधिनियम, संपूर्ण भारत 1974 (1974 का 6) की घारा 3 के ग्रिधीन गठित केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का ग्रध्यक्ष या सदस्य-सचिव
- राज्य सरकार (पर्यावरण की भारसाधक राज्य संपूर्ण भारत सरकार के सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व)
- 4. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संपूर्ण भारत ग्रिविनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा
 4 के ग्रिवीन गठित राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का या वायु (प्रदूषण निवारण गरे नियंत्रण) श्रुविनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 5 के अधिन गठित राज्य वायु प्रदूषण और निवारण नियंत्रण बोर्ड का ध्रष्टयक्ष या सदस्य-सर्विव
- 5. कलक्टर

संपूर्ण राजस्व जिला

6. केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण योर्ड केन्द्रीय सोर्ड द्वारा के ऐसे प्रादेशिक प्रधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण यथा प्रधिकियत क्षेत्र। निवारण और नियंत्रण) प्रधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 20,21,23 के प्रधीन और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) प्रधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 24 के प्रधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

3

राज्य बोर्ड के ऐसे प्रादेशिक अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण यथा अधिकथित क्षेत्र ।

निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की द्यारा 20, 21 और 23 के श्रधीन शक्तियां

7. राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड

प्रत्यायोजित की गई हैं।

 राज्य वायु प्रदुषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड राज्य बोर्ड द्वारा यथा ग्रधिकषित के ऐसे प्रादेशिक प्रधिकारी जिन्हें वाय (प्रदु-षण निवारण और नियंत्रण) श्रधिनियम, 1981 की घारा 24के श्रधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की

गई हैं।

[सं. 1(2)/87 - पी. एल.] ति. ना. शेषन, सचिव

S.O. 394(E).—In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authories the officers and authorities listed in column (2) of the Table hereto for the purposes of the said section with the jurisdiction mentioned against each of them in column (3) of that Table:

TABLE

Serial	of Officer	Jurisdiction	
No.			
(1)	(2)	(3)	

Secretary, Whole of India Joint 1. Any Director, Adviser or Additional Secretary to the Government of India in the Department of Environment, Forests and Wildlife

2. The Chairman or Member-Secretary Whole of India of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution

constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

3. The Government of the State (represented by the Secretary to the State Government incharge of environ-

3 Whole of the State

4. The Chairman or Member-Secretary of the State Board for the Prevention and Control of Water Pollution constituted under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or a State Board for the Prevention and Control of Air Pollution constituted under section 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)

Whole of the State

5. Collector

ment.

Whole of Revenue District

6. Regional Officers of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution who have been delegated powers under sections 20, 21, 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and section 24 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

100

Area as laid down by the Central Board

7. Regional Officers of the State Board Area as laid down for the prevention and control of by the State Board water pollution who have been delegated powers under section 20, 21 and 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

8. Regional Officers of the State Board Area as laid down for the prevention and Control of Air by the State Board Pollution who have been delegated powers under section 24 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

[No. 1(2)/87-PL] T. N. SESHAN, Secy.